न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
12/2020	13.08.2020	23.02.2021

अनवान

1. चम्पालाल पिता गोपीलाल जाट निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत हथियाणा तहसील कपासन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हथियाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

अप्रार्थी

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री कृष्ण गोपाल झंवर — प्रार्थी
एक तरफा — अप्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रूदडी पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 966 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है अप्रार्थी आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के [illegible] किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दि[illegible]2.2021 को अप्रार्थी के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आन[illegible] एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। इस पर हाजिर वक[illegible] प्रार्थी द्वारा प्रकरण का [illegible]तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हा[illegible]र वकील प्रार्थी द्वारा क[illegible] बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमन[illegible] प्रार्थना पत्र का अवल[illegible] किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:46:12 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा रूदडी पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 966 कृषि भूमि मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।
पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:46:12 IST
Reason: SelfAttested